

मि.सं. 3-03/2013-प्रशा०

भारत सरकार  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय  
शिक्षा मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

पश्चिमी खंड-7, आर0 के0 पुरम्  
नई दिल्ली -110066  
दिनांक ०९ दिसम्बर, 2021


कार्यालय ज्ञापन

विषय: महिला यौन उत्पीडन समिति (Women Harassment Committee) गठन के संबंध में

समसंख्यक आदेश दिनांक 28.08.2017 के अंतर्गत उपरोक्त विषय के संबंध में गठित समिति को भंग करते हुए महिलाओं के साथ उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन उन्मूलन हेतु निदेशालय में समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं:-

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) किरण झा, सहायक निदेशक (भाषा)    | - | अध्यक्ष             |
| 2. डॉ. (श्रीमती) नूतन पांडे, सहायक निदेशक (भाषा) | - | सदस्य               |
| 3. श्री हुकुमचंद मीणा, सहायक निदेशक (भाषा)       | - | सदस्य               |
| 4. डॉ. संतोष खन्ना, NGO संचालक                   | - | सदस्य (बाहरी सदस्य) |

ये ज्ञापन निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किए जा रहा है।

  
(सीता देव)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी समिति सदस्य
2. सभी अधिकारी/कर्मचारी, के.हि.नि.
3. निदेशक महोदय के निजी सहायक
4. प्रशासनिक अधिकारी।
5. उपनिदेशक (भाषा), क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एवं गुवाहाटी।
6. वेबसाइट यूनिट। कृपया आदेश कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. कार्यालय आदेश फोल्डर
8. नोटिस बोर्ड
9. डॉ. संतोष खन्ना, NGO संचालक, BH-48-East. शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088, आपको उपरोक्त कार्य हेतु नियमानुसार TA/DA एवं मानदेय देय होगा।